आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
17.11.2023	**वाद संख्या–51 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष श्रीमती दैवती सिंह, सचिव, वनमाला महिला मण्डल एवं अन्य, शहरखेड़ा, चाण्डिल, सरायकेला–खरसावाँ के प्रतिनिधि के तौर पर श्री विजय कुमार तंतुबाई आयोग कार्यालय में उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ आयोग कार्यालय में उपस्थित। आज की सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ उपस्थित हैं, जबकि शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि मण्डल के प्रतिनिधि के तौर पर श्री विजय कुमार तंतुबाई उपस्थित हैं। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि की उपस्थिति में यह कहा कि आयोग के आदेश के आलोक में पूरे मामले में पड़ताल की गई और कई लाभुकों से बात की गई। इसमें यह तथ्य सामने आया कि वनमाला महिला मण्डल के द्वारा संचालित PDS दुकान को निलंबित करने के बाद जिस दुकान से सम्बन्धित लाभुकों को सम्बद्ध किया गया है, वहाँ पर नियमित तौर पर राशन की आपूर्ति की जा रही है और शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि ने भी जिला आपूर्ति पदाधिकारी के इस जानकारी पर सहमति जताई। आयोग में उपस्थित शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि आयोग से यह अपेक्षा रख रहे हैं कि वनमाला महिला मण्डल के निलंबन को निरस्त कर पुनः उसी दुकान से गांव वालों को राशन उपलब्ध कराया जाए। आयोग ने शिकायतकर्ताओं को स्पष्ट किया कि आयोग किसी PDS दुकान के निलंबन को हटाने या निलंबित करने का सीधा निर्देश नहीं दे सकता, क्योंकि यह विभागीय प्रक्रिया का हिस्सा है। आयोग का काम सिर्फ यह सुनिश्चित करना है कि लाभुकों को समय पर राशन उपलब्ध कराया जा रहा है या नहीं। इस वाद में शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि ने भी माना कि अब सभी लाभुकों को ससमय राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसे में आयोग इस वाद को निष्पादित करते हुए शिकायतकर्ता को निर्देश देता है कि यदि वे चाहें तो अपनी शिकायत उपयुक्त मंच पर दर्ज करा सकते हैं यथा विभाग या अन्य वैधानिक संस्था। वाद निष्पादित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx123	